Success Story of National Lok Adalat Held on 08.09.2018

1- गंगादेवी बनाम चांदरतन आदि, 1981 –

यह प्रकरण बीकानेर न्यायालय में वर्ष 1981 से लंबित था। यह विवाद पक्षकारान के मध्य अविभाजित संपत्ति के स्वामित्व व कब्जे से संबंधित था। उक्त प्रकरण में वादिनी ने उक्त सम्पत्ति में से एक तिहाई हिस्सा खेमचंद से क्रय किया था, जिस पर प्रतिवादी कब्जा करना चाहते थे। जिसे रोकने व अपना एक तिहाई हिस्सा का बंटवारा करवाकर उपयोग–उपभोग का दावा वादिनी गंगादेवी ने पेश किया था। न्यायालय व प्रयासों से उक्त प्रकरण लोक अदालत की अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश व न्यायिक मजिस्ट्रेट सं0 02 बैंच में जरिये राजीनामा निस्तारित करवाया गया। इस प्रकार राष्ट्रीय लोक अदालत में 37 वर्ष के लम्बे विवाद व लड़ाई के पश्चात् प्रकरण का सुखद अंत हुआ।

2- दी0मु0प्रकरण संख्या 10/17 मोहनलाल बनाम श्रीमती राधा बाई–

यह प्रकरण पारिवारिक न्यायालय झालावाड़ में धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत लंबित था। उक्त प्रकरण में लगभग 12 वर्ष के वैवाहिक जीवन के पश्चात् पक्षकारान् में विवाद हुआ एवं प्रार्थी ने पत्नी के पीहर चले जाने पर उसके विरूद्ध विवाह विच्छेद की याचिका प्रस्तुत की। पत्नी ने उपस्थित होने के पश्चात् विवाह विच्छेद की याचिका को अस्वीकार किया एवं साथ ही धारा 24 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया। पक्षकारान के मध्य अत्यधिक विवाद था। कई बार समझाया गया परन्तु कोई हल नहीं निकला एवं तनकीहात बनाई गई।

प्रार्थी पक्ष की साक्ष्य भी पूरी ले ली गई। फिर भी समझाने का प्रयास लगातार जारी रखा गया और अंततः पिछली लोक अदालत में पक्षकारान को समझाया गया। दोनों पक्षकारान ने मतभेद भुलाकर साथ–साथ रहना जाहिर किया गया एवं आज प्रार्थी ने अपनी याचिका जो विवाह विच्छेद की थी, सहमति से खारिज करवा ली। पत्नी ने भी धारा 24 हिन्दू विवाह अधिनियम का प्रार्थना पत्र नही चलाना जाहिर किया एवं साथ ही यह जाहिर किया कि उसने पति के विरूद्ध धारा 125 दं0प्र0सं0 की याचिका भी वापस ले ली है। इस प्रकार प्रकरण का जरिये राजीनामा निस्तारण किया गया।

****